कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ0ग0

क्रमांक । /अनुदान । मान्यता । 2004 बिलासपुर दिनांक 22-6-2004

प्रति,

संचालक,लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़,रायपुर ।

विषय:- सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक सी0बी0एस0ई0। 342 । 2004 । 321 दिनांक 21-06-2004 ।

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के व्दारा कालिन्दी एजुकेशन सोसायटी अमाती नगर बिलासपुर व्दारा संचालित दी जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर का सी0बी0एस0 ई0 की मान्यता हेतु विंदुवार जानकारी चाही गई है ।

अध्यक्ष कालिन्दी एजुकेशन सोसायटी अमातीनगर बिलासपुर व्दारा विंदुवार जानकारी तैयार कर शपथ पत्र दिया है कि शाला व्दारा समय-समय व्दारा जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा ।

विंदु क्रमांक(8) दी जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर को इस कार्यालय के पावती क्रमांक 345 दिनांक 31-12-2003 के व्दारा कक्षा 1ली से 12 वीं तक अंग्रेजी माध्यम से संस्था प्रारंभ करने की पावती दी गई है । शपथ-पत्र प्रारूप- क संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रस्तुत है ।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार ।

सही।-
जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठा0क्रमांक। 3220 /अनुदान /मान्यता । 2004 बिलासपुर दिनांक 22.6.04

प्रतिलिपि:

प्राचार्य,दी जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर को सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर छ0ग0

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

कमांक/एफ 5–12/20/04 रायपुर, दिनांक 29/6/04

प्रेषकः–

दिलीप वासनीकर,
उपसचिव

प्रेषितीः–

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
नई दिल्ली।

विषयः–दि जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर (छत्तीसगढ़) को सी.बी.एस.ई. से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत् ।

महोदय,

दि जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ने सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम संचालन सत्र 2004–05 हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यह संस्था वर्ष 2004–05 सत्र से प्रारंभ हुई है तथा सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष है। स्कूल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत तथा गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु मूलतः अग्रेषित है।

भवदीय

(दिलीप वासनीकर)

कमांक/एफ 5–12/20/04 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. संचालक, लोक शिक्षण रायपुर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर ।
3. प्राचार्य दि जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

की ओर अग्रेषित ।

(दिलीप वासनीकर)